न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 77 / 2023

राज्य सरकार जरिये श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक, किशनगढ
— प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस रावत होटल के पीछे, जनाना हॉस्पिटल के आगे, अजमेर
2. श्री शेरू खान पुत्र कचरू खान, फायसागर, काजीपुरा, अजमेर
3. श्री रूपचन्द पुत्र श्रवणलाल ग्राम कायड, अजमेर
   पुलिस थाना किश्यचयनगंज, अजमेर — अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री नरेश खान, श्री शेरू खान, श्री रूपचन्द अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

—:आदेश:—

दिनांक 16.08.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 10.03.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा मय जाच दल के श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस, रावत होटल के पीछे जनाना हॉस्पिटल अजमेर पर पहुँचे । गैराज पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारूति ओमनी वैन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या R.J.01 TA 4823 खडी पाई जिसके पीछे की तरफ डिग्गी में गैस किट में घरेलू गैस सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन से जोडकर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। वक्त जांच मौके पर रिफिलिंग करते पाये गये श्री शेरू खान से जानकारी लेने पर बताया कि उसका नाम शेरू खान पुत्र कवरू खान निवासी फायसागर, काजीपुरा, अजमेर उम्र 22 वर्ष है। श्री शेरू खान को के.जी.एन. गैराज सर्विस पर वाहनो में गैस रिफिलिंग का कार्य प्रति सिलेण्डर 1300 रूपये की दर से करना पाया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं सिलेण्डर लाने पर 100 रूपये गैस रिफिलिंग के लेना पाया। श्री शेरू खान द्वारा गैराज के मालिक का नाम श्री नरेश खान बताया। वक्त जांच मौके पर वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 (मारूति ओमनी वैन सफेद रंग) में बीपीसीएल के घरेलू सिलेण्डर जिसका एस.आर.नम्बर अपठित, टियर वेट 16.6 किग्रा कुल वजन 18.5 किग्रा है से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी तथा 12.3 एलपीजी सिलेण्डर से

जिला कलक्टर
अजमेर

वाहन में गैस भरी जा चुकी थी। वक्त जांच मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री रूपचन्द निवासी, ग्राम कायड, वाया गगवाना, गेगल अजमेर ने 'वाहन संख्या **R.J.01 TA 4823** का स्वयं को मालिक होना बताया तथा वाहन की आर.सी. उसके नाम होना पाया तथा 1300 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से के.जी.एन. मोटर गैराज के पीछे बने खुले परिसर में गैस भरवाना स्वीकार किया। वक्त जॉच मौके पर श्री शेरू खान द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का संचालन एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक वायर से जुडा हुआ था द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य करना पाया । अतः जब्तशुद्वा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल 44.5 किग्रा गैस, इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन व विघुत एक्सटेंशन बोर्ड मय वायर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण उपस्थित आए। जवाब पेश किया । सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि दिनांक 10.03.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा मय जाच दल के श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस, रावत होटल के पीछे जनाना हॉस्पिटल अजमेर पर पहुॅचे । गैराज पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारूति ओमनी वैन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या **R.J.01 TA 4823** खडी पाई जिसके पीछे की तरफ डिग्गी में गैस किट में घरेलू गैस सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन से जोडकर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। वक्त जांच मौके पर रिफिलिंग करते पाये गये श्री शेरू खान से जानकारी लेने पर बताया कि उसका नाम शेरू खान पुत्र कवरू खान निवासी फायसागर, काजीपुरा, अजमेर उम्र 22 वर्ष है। श्री शेरू खान को के.जी.एन. गैराज सर्विस पर वाहनो में गैस रिफिलिंग का कार्य प्रति सिलेण्डर 1300 रूपये की दर से करना पाया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं सिलेण्डर लाने पर 100 रूपये गैस रिफिलिंग के लेना पाया । श्री शेरू खान द्वारा गैराज के मालिक का नाम श्री नरेश खान बताया। वक्त जांच मौके पर वाहन संख्या **R.J.01 TA 4823** (मारूति ओमनी वैन सफेद रंग) में बीपीसीएल के घरेलू सिलेण्डर जिसका एस.आर.नम्बर अपठित, टियर वेट 16.6 किग्रा कुल वजन 18.5 किग्रा है से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी तथा 12.3 एलपीजी सिलेण्डर से वाहन में गैस भरी जा चुकी थी। वक्त जांच मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री रूपचन्द निवासी, ग्राम कायड, वाया गगवाना, गेगल अजमेर ने वाहन संख्या **R.J.01 TA 4823** का स्वयं को मालिक होना बताया तथा वाहन की आर.सी. उसके नाम होना पाया तथा 1300 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से के.जी.एन. मोटर गैराज के पीछे बने खुले परिसर में गैस भरवाना स्वीकार किया। जब्तशुद्वा वाहन संख्या **R.J.01 TA 4823** को पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज ए.एस.आई श्री कुम्भराम को अग्रिम

जिला कलक्टर
अजमेर

आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी गई। जब्तशुद्वा 05 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर मय कुल 44.5 किग्रा गैस तथा इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन व विघुत एक्सटेंशन बोर्ड मय वायर उदय गैस सर्विस अजमेर के मैनेजर श्री मनोज कुमार मोहनपुरिया अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। जब्तशुद्वा सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है :–

क0सं0	गैस कम्पनी	एस.आर. नम्बर	टीयर वेट	ग्रॉस वेट	नेट वेट
1	Bpcl (Seald)	405440ई	15.7	29.2	14.2
2	Bpcl (Seald)	301126 टी	15.7	29.2	14.2
3	Bpcl (Seald)	383836 एस	15.4	29.6	14.2
4	Bpcl	011980	15.2	15.2	—
5	Bpcl	अपठित	16.6	18.5	1.9

वक्त जॉच मौके पर श्री शेरू खान द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का संचालन एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक वायर से जुडा हुआ था द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करना पाया । इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) क्लॉज 4(1)(क)(ग)(घ),6,7 (1)(क) (ख) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लधंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डीनीय अपराध है अतः जब्तशुद्वा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल 44.5 किग्रा गैस, इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन व विघुत एक्सटेंशन बोर्ड मय वायर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश करे ।

जवाब में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण के संदर्भ में कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही थी। भविष्य में उक्त कृत्यु की पुनरावृत्ति नही होगी ।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 10.03.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा मय जाच दल के श्री नरेश खान मैसर्स के.जी.एन. गैराज सर्विस, रावत होटल के पीछे जनाना हॉस्पिटल अजमेर पर पहुँचे । गैराज पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारूति ओमनी वैन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या R.J.01 TA 4823 खडी पाई जिसके पीछे की तरफ डिग्गी में गैस किट में घरेलू गैस सिलेण्डर को एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से जोडकर गैस रिफिलिंग की जा रही थी। वक्त जांच मौके पर रिफिलिंग करते पाये गये श्री शेरू खान से जानकारी लेने पर बताया कि उसका नाम शेरू खान पुत्र कवरू खान निवासी फायसागर, काजीपुरा, अजमेर उम्र 22 वर्ष है। श्री शेरू खान को के.जी.एन. गैराज सर्विस पर वाहनो में गैस रिफिलिंग का कार्य प्रति सिलेण्डर 1300 रूपये की दर से करना पाया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं सिलेण्डर लाने पर 100 रूपये गैस रिफिलिंग के लेना पाया। श्री शेरू खान द्वारा गैराज के मालिक का नाम श्री नरेश खान बताया। वक्त जांच मौके पर वाहन संख्या R.J.01 TA 4823 (मारूति ओमनी वैन सफेद रंग) में बीपीसीएल के घरेलू सिलेण्डर जिसका एस.आर. नम्बर अपठित, टियर वेट 16.6 किग्रा कुल वनज 18.5 किग्रा है से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी तथा 12.3 एलपीजी सिलेण्डर से वाहन में गैस भरी जा चुकी थी। वक्त जांच मौके पर उपस्थित वाहन चालक श्री रूपचन्द निवासी, ग्राम कायड, वाया गगवाना, गेगल अजमेर ने वाहन संख्या **R.J.01 TA 4823** का स्वयं को मालिक होना बताया तथा वाहन की आर. सी. उसके नाम होना पाया तथा 1300 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से के.जी. एन. मोटर गैराज के पीछे बने खुले परिसर में गैस भरवाना स्वीकार किया। जॉच मौके पर श्री शेरू खान द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर का संचालन एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक वायर से जुडा हुआ था द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करना पाया । इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) क्लॉज 4(1)(क)(ग)(घ),6,7 (1)(क) (ख) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डीनीय अपराध है अतः जब्तशुद्वा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल 44.5 किग्रा गैस, इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन व विघुत एक्सटेंशन बोर्ड मय वायर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.08.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर